भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3755

16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: प्रशीतकों की आवश्यकता

3755. श्री धनुष एम. कुमारः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि तेनकासी संसदीय क्षेत्र में हाशिए पर, के किसानों को प्रशीतक की सुविधा न होने के कारण बहुत कठिनाई होती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है;

(ख) क्या सरकार ने प्रशीतक स्थापित करने हेतु कोई दिशानिर्देश निर्धरित किए है और यदि हां, तो क्या सरकार ने तेनकासी, तमिलनाडु में प्रशीतक खोलने हेतु किसान समूहों/सहकारी संघों में ऋण से जुड़ी, कार्य पूर्ण होने पर समायोजित होने वाली राजसहायता के विषय में जागरूकता फैलाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग फसलोपरांत प्रबंधन सहित बागवानी के समग्र विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है। मिशन के फसलोपरांत प्रबंधन घटक के अंतर्गत तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में शीत भांडागारों की स्थापना करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35% की दर तथा पहाड़ी एव अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध पार्श्वांत राजसहायता का प्रावधान है। यह घटक उद्यमियों, निजी कंपनियों, सहकारी समितियों, किसान समूहों आदि की मांग/उद्यमी पर निर्भर है।

इस मिशन के अंतर्गत राज्य शीत भांडागार की स्थापना करने के लिए किसान समूहों/उद्यमियों को जागरूक बनाने के लिए संगोष्ठियों, ग्राम स्तरीय बैठकों, किसान समूहों की बैठकों आदि का आयोजन कर रहा है।

छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विपणन एवं कृषि व्यापार विभाग, तमिलनाडु ने तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1035 एमटी क्षमता वाले 3 शीत भांडागारों की स्थापना की है। किसान इन शीत भांडागारों को विविध प्रकार के बागवानी उत्पाद के भंडारण हेतु उपयोग कर रहे हैं।